62/132 10216 101 8

कोषागार लखनऊ
256337
8 SEP 2006
स. को. अ / कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
L K O. T R Y.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

For Ci... Authorised Signatory

दिक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या–60
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.126 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग / कुआ / अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की ध .राशि	: रू0 2,33,415 /–
11.	मालियत	: रू0 2,16,563 /–
12.	स्टाम्प	: रू0 25,000 /–

For ... Authorised Signatory

चौहद्दी

खसरा न0 60

पूरब : खसरा संख्या–63

पश्चिम : खसरा संख्या–58

उत्तर : खसरा संख्या–59

दक्षिण : खसरा संख्या–61

प्रथम पक्ष की संख्या–01 **द्वितीय पक्ष की संख्या–01**

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
सोहन लाल पुत्र राम चरन निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि		**गिरजा शंकर प्रापर्टीज प्रा0 लि0 द्वारा श्री विनीत श्रीवास्तव पुत्र श्री एम0पी0 श्रीवास्तव महाप्रबन्धक (कार्यान्वयन),** वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिग, **13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ व्यवसाय–व्यापार**

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख **सोहन लाल पुत्र राम चरन निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ** जिन्हे आगे **विक्रेता** कहा गया है, एवम् **गिरजा शंकर प्रापर्टीज प्रा0 लि0 द्वारा श्री विनीत श्रीवास्तव पुत्र श्री एम0पी0 श्रीवास्तव महाप्रबन्धक (कार्यान्वयन), वर्तमान**

For Girija Shankar ...

Authorised Signatory

पता–तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्ड़िग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे **क्रेता** कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता **कृषि भूमि खसरा संख्या–60 रकबा 0.126 हेक्टेअर, स्थित ग्राम हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ** का मालिक कामिल व काबिज हैं जो विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो उन्हें वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–283 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरूत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 2,33,415/– (रूपया दो लाख तैतिस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) होते है **गिरजा शंकर प्रापर्टीज प्रा0 लि0**

द्वारा श्री विनीत श्रीवास्तव पुत्र श्री एम0पी0 श्रीवास्तव महाप्रबन्धक (कार्यान्वयन), वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्ड़िग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ के बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अुनसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कही विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल–खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 13,75,000/– रूपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है लेकिन यहाँ कम्पनी खरीददार है इसलिए 25 प्रतिशत बढ़ाकर रू0 17,18,750/– प्रति हेक्टेअर होती है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.126 हेक्टेअर की मालियत रू0 2,16,563/– होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाम्प शुल्क 25,000/– के अदा किये जा रहे है।

For Girija Shankar ...
Authorised Signatory

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रू0 2,33,415/– (रूपया दो लाख तैतिस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) द्वारा चेक संख्या–135593, दिनांकित 01.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 2,33,415/– (रूपया दो लाख तैतिस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

विक्रय पत्र

233,415.00/	174,000.00	4,680.00	40	4,720.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती सोहन लाल

पुत्र / पत्नी श्री राम चरन

पेशा कृषि

निवासी स्थायी हसन पुर खेवली जिला लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 1/12/2006 समय 7:35PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
1/12/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती सोहन लाल
पुत्र/पत्नी श्री राम चरन
पेशा कृषि
निवासी हसन पुर खेवली जिला लखनऊ

क्रेता
श्री/श्रीमती गिरजा शँकर प्रापट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा बिनीत श्रीवास्तव
पुत्र/पत्नी श्री एम0 पी0श्रीवास्तव
पेशा व्यापार
निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार सिन्हा
पुत्र श्री जी0सी0 सिन्हा
पेशा व्यापार
निवासी 288 आर्या नगर लखनऊ
व श्री बँशी लाल
पुत्र श्री राम किशुन
पेशा कृषि
निवासी राजा खेडा जिला लखनऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
1/12/2006

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने–अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांकः 01.12.2006
लखनऊ

गवाहानः–

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ताः

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ताः

(सैय्यद अंजर हुसैन)
एडवोकेट,

विक्रेता

Registration No 10216 Year : 2006 Book No. 1

0101 सोहन लाल

राम चरन

हसन पुर खेवली जिला लखनऊ

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:– सोहनलाल पुत्र रामचरन
हसनपुर खेवली

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

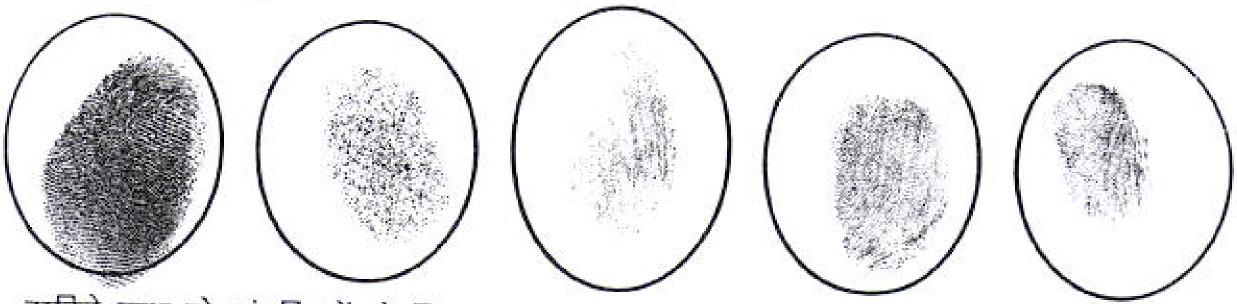

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

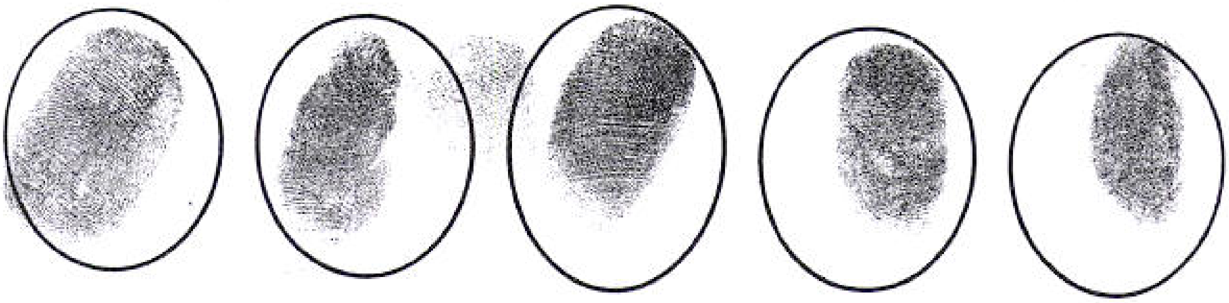

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:– विनोद श्रीवास्तव
13 राणाप्रताप मार्ग लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

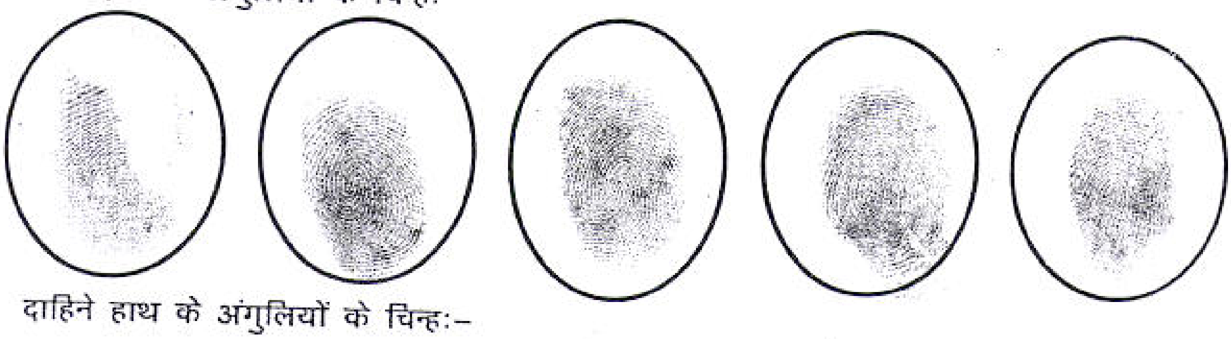

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

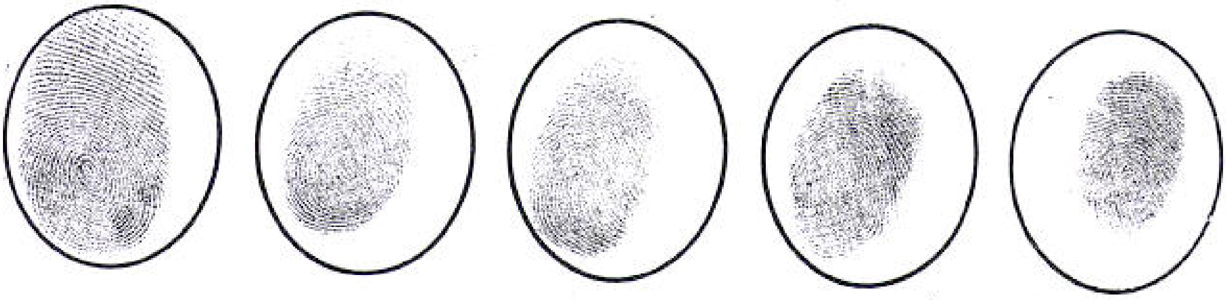

For Girija Shankar P... Private Limited

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 10216 Year : 2006 Book No. 1

0201 गिरजा शँकर प्रापट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा बिनीत श्रीवास्तव

एम0 पी0श्रीवास्तव

13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

व्यापार

नक्शा नजरी

ग्राम : हसनपुर खेवली

खसरा संख्या– 60

विक्रेता : सोहनलाल

क्रेता : गिरजाशंकर प्रा०लि० द्वारा विनीत श्रीवास्तव

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

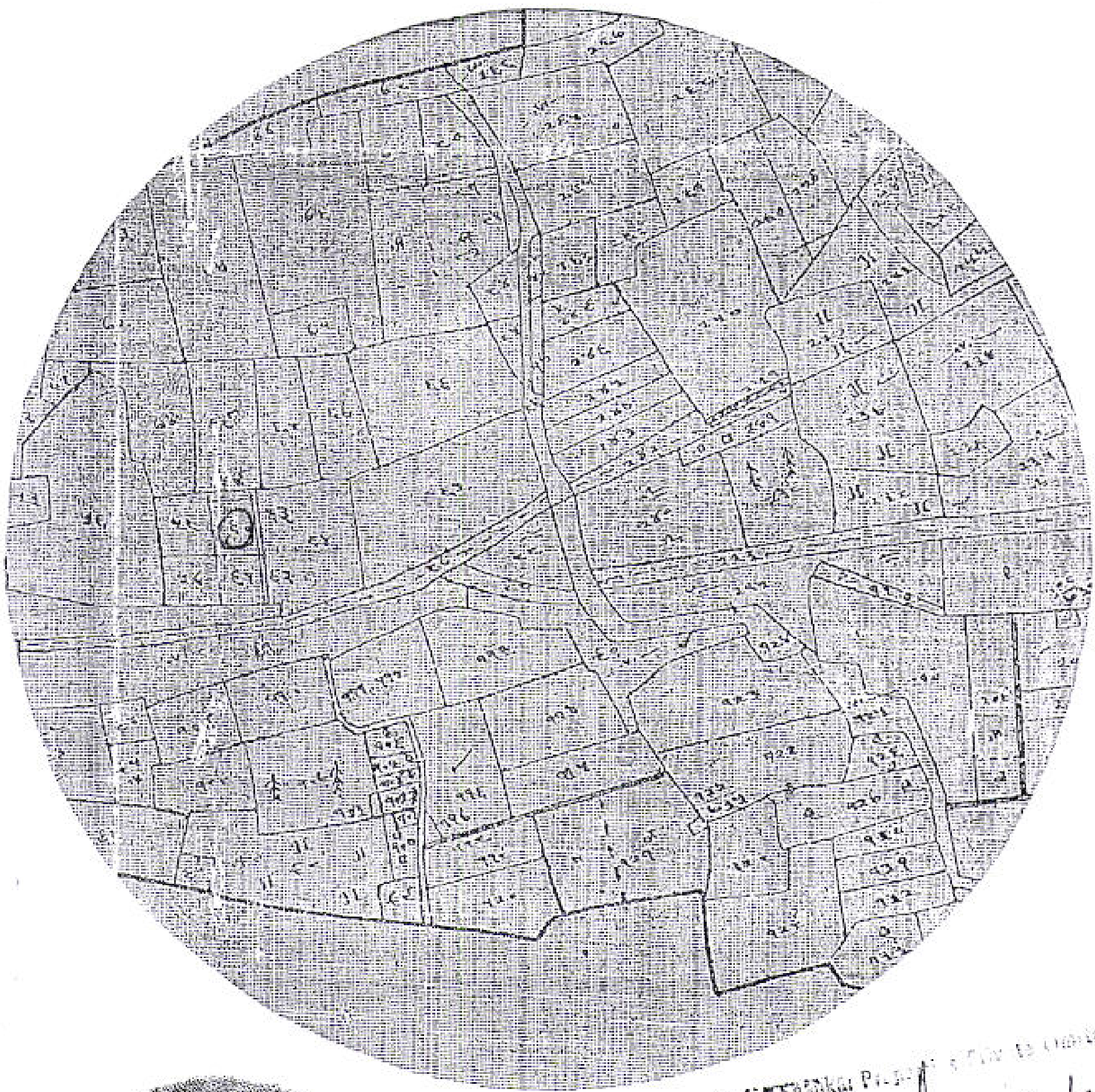

For Girija Shankar P... Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

निशान- सोहनलाल

आज दिनांक **01/12/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **7955**

पृष्ठ सं. **269** से **486** पर कमांक **10216**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

1/12/2006